‘86% ने अपनाई नई कर व्यवस्था’

पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने की कोई योजना नहीं

रवि अग्रवाल, सीबीडीटी चेयरमैन

भाषा
नई दिल्ली, 4 फरवरी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि लगभग 86 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाता नई कर प्रणाली में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। आकलन वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत था। अग्रवाल ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि किसी विशेष कर प्रणाली का चयन करदाताओं की मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन नई प्रणाली को लेकर प्रतिक्रिया ‘बहुत अच्छी’ रही है।

उन्होंने कहा, ‘आईटीआर 1, 2, 3 और 4 (व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जाने वाले आयकर रिटर्न फॉर्म) को मिलाकर देखें तो लगभग 86 प्रतिशत लोग नई कर प्रणाली में शामिल हो चुके हैं।’ अग्रवाल ने कहा, ‘जहां तक अनुमानित कर मामलों का संबंध है, लगभग 97 प्रतिशत करदाता नई कर प्रणाली में शामिल हो चुके हैं। कंपनियों के मामले में लगभग 60 प्रतिशत आय अब नई कर प्रणाली में दर्शायी जा रही है।’ अनुमानित कर मामलों से तात्पर्य भारत के आयकर अधिनियम (धारा 44एडी, 44एडीए, 44एई) के अंतर्गत एक सरलीकृत कर निर्धारण योजना से है, जिसके तहत छोटे करदाता और पेशेवर अपने कारोबार का एक निश्चित प्रतिशत कर योग्य आय के रूप में घोषित कर सकते हैं। इससे उन्हें बही-खातों को बनाये रखने या लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती।

सीबीडीटी के ‘नज’ (मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए डेटा का गैर-हस्तक्षेपकारी उपयोग) अभियान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अग्रवाल ने कहा, ‘इसके तहत पिछले दो वर्षों में 1.11 करोड़ से अधिक संशोधित और अद्यतन रिटर्न दाखिल किए गए हैं और इसके माध्यम से सरकार ने लगभग 8,800 करोड़ रुपये का कर संग्रह प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि इस कुल राशि में पिछले वर्ष करदाताओं द्वारा अपने संशोधित रिटर्न में वापस लिए गए 1,750 करोड़ रुपये के रिफंड दावे भी शामिल हैं।

अग्रवाल ने कहा, ‘हमने ‘नज’ अभियान के माध्यम से करदाताओं को यह बताया और समझाया कि हमने क्या देखा है। आप दोबारा समीक्षा करना चाहते हैं और उसके बाद 1,750 करोड़ रुपये के रिफंड दावों को कम कर दिया गया है।’ ‘नज’ अभियान के तहत आयकर विभाग आंकड़ों का विश्लेषण कर संदेश और ईमेल भेजकर करदाताओं को स्वेच्छा से आयकर रिटर्न में सुधार के लिए कहता है। सीबीडीटी की इस पहल के तहत एसएमएस और ईमेल के माध्यम से करदाताओं को अघोषित विदेशी संपत्तियों या संभावित गलत रिपोर्टिंग से संबंधित आयकर रिटर्न में स्वेच्छा से सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह दंडात्मक कार्रवाई के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देता है।

छात्रों के लिए दिल्ली दुनिया का सबसे सस्ता शहर

संकेत कौल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया में सबसे किफायती शहर के रूप में उभरा है। यहां रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों का रोजमर्रा का खर्च दूसरे देशों के बड़े शहरों के मुकाबले काफी कम होता है। नाइट फ्रैंक इंडिया, डेलॉयट इंडिया और क्वाक्वेरेली साइमंड्स की संयुक्त रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के अन्य महानगर भी विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान को अपनी शाखाएं खोलने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि यहां ब्रांड की पहचान बनाना और विस्तार करना काफी आसान होता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'दिल्ली-एनसीआर वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिए भारत का सबसे मजबूत बाजार है, जिसमें गुरुग्राम सबसे आगे है। अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, दूतावासों से निकटता और फॉर्च्यून 500 कंपनियों की मौजूदगी जैसे कारक शिक्षण संस्थानों को फलने-फूलने में मददगार साबित होती है, क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को यहां उद्योगों में आसानी से काम मिल जाता है।'

रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18 से 23 वर्ष की आयु के लगभग 15.5 करोड़ युवा हैं, जो विश्व में सबसे बड़ी आबादी समूह है। भारत अब स्थानीय छात्र बाजार से विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए प्रमुख आकर्षण बन गया है। यदि यही रुझान बरकरार रहा तो 2040 तक ऐसे विदेशी संस्थानों की जगह 1.9 करोड़ वर्ग फीट तक पहुंच सकती है। वर्तमान में देश में 19 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान यहां तो चालू हो चुके हैं अथवा उन्हें इसके लिए शिक्षा मंत्रालय से आशय पत्र प्राप्त हो गया है।

इस रिपोर्ट में शहर में शैक्षिक वातावरण उभरने का पता लगाने के लिए आवाजाही, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, उद्योग तंत्र और जनसांख्यिकीय अवसर तथा शैक्षणिक परिदृश्य जैसे चार प्रमुख स्तंभों के आधार पर प्रत्येक शहर के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। अध्ययन के अनुसार, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलूरु जैसे महानगर बड़े स्तर पर काम शुरू करने के लिए आसानी से अवसर प्रदान करते हैं। इन शहरों में विभिन्न विषयों और स्ट्रीम के छात्र पढ़ते हैं। एक और खास बात यह कि यहां उद्योग और शोध संस्थानों के बीच मजबूत संबंध और साझेदारी है, जिससे बेहतर रोजगार के मौके आसानी से मिल जाते हैं। यही वजह है कि विदेशी शिक्षक और संस्थान यहां आना चाहते हैं।

भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाने वाला शहर मुंबई, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, प्राइवेट इक्विटी फर्मों, कैपिटल मार्केट और मीडिया एवं मनोरंजन कंपनियों का गढ़ है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'भूमि और जीवनयापन की उच्च लागत बड़े ग्रीनफील्ड परिसरों के विस्तार में बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन ब्रांड के विस्तार से लाभ सुनिश्चित होता है। दूसरी ओर, बेंगलूरु आईटी, एआई, इंजीनियरिंग और अनुसंधान से जुड़े उद्योगों का प्रमुख केंद्र है, जहां विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को टेक कंपनियों की भरमार का पूरा लाभ मिल सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी जैसे पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्रों की तुलना में भारतीय शहर बहुत कम लागत में विश्वस्तरीय शिक्षा देकर और पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार की अधिक संभावना के कारण छात्रों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। जिस समय चुनिंदा महानगर तत्काल प्रमुख बाजारों के रूप में काम कर रहे हैं, मझोले शहर भी इस मामले में बेहतर विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं।

चंडीगढ़ ट्राइसिटी, कोच्चि, गोवा, भुवनेश्वर और जयपुर जैसे तमाम शहर विदेश शिक्षण संस्थानों को अपने यहां परिसर खोलने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यहां विदेशी संस्थानों को कम कीमत में अधिक जमीन और कम परिचालन लागत जैसे लाभ मिलते हैं।

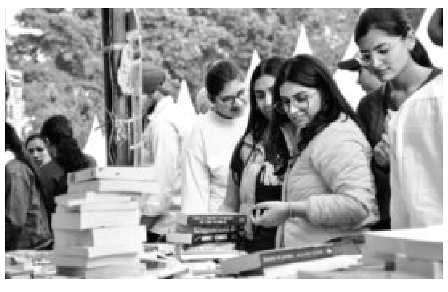

विदेशी विश्वविद्यालय

शहर	संख्या*	प्रमुख विवि
मुंबई	6	इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंस्टिट्यूटो यूरोपीओ डि डिजाइन
अहमदाबाद	5	डीकिन#, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलीगोंग#, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी
बेंगलूरु	4	यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी
दिल्ली एनसीआर	3	यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन#, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी
चेन्नई	1	यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया

यूनिः यूनिवर्सिटी; *विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान की संख्या और परिचालन और स्वीकृत संस्थानों सहित, #: परिचालन , स्रोतः नाइट फ्रैंक-डेलॉइट-QS रिपोर्ट

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पू.), मुंबई– 400 063, भारत
मोबाइल : +91 9813887931, **वेबसाइट :** www.rathi.com

ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न वर्णित उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ओं / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ–साथ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड (''एआरजीएफएल'') (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास प्रतिभूत निम्न विवरणित अनुसूचीगत अचल संपत्ति जिसका ऋण खाता सं. APPL00006953 & APPL00007191 है, उसका रचनात्मक अधिग्रहण एआरजीएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय निम्न वर्णितानुसार उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता/ओं / गारंटरों की ओर से, अनुसूची में विशिष्ट रूप में अंकित कुल राशि तथा राशि पर संविदागत ब्याज तथा वसूलीकरण की तिथि तक अन्य लागत एवं शुल्कों की वसूली के लिये ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है'' तथा ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर अनुसूची में विशिष्ट रूप में अंकित तिथि पर वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से एक ऑनलाइन ई–नीलामी द्वारा किया जायेगा :

उधारकर्ता का नाम : (1) मैसर्स खुशी किराना स्टोर एंड कन्फैक्सनर्स, शाहपुर बम्हेटा, बल्ले के चौराहा के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201001

सह–उधारकर्ता / ओं के नाम : (2) श्री अर्जुन कुमार यादव (सह–उधारकर्ता), मकान सं. 104, खसरा सं. 2853, मानसरोवर पार्क, शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद : 201009, **अन्य पता यहां पर भी :** शाहपुर बम्हेटा, बल्ले के चौराहा के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201002, **(3) श्रीमती कृष्णा देवी (सह–उधारकर्ता),** मकान सं. 104, खसरा सं. 2853, मानसरोवर पार्क, शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद– 201009, **अन्य पता यहां पर भी :** शाहपुर बम्हेटा, बल्ले के चौराहा के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201002

संपत्ति पता : आवासीय भूखंड सं. 104 का बंधक, जो खसरा सं. 2853/3 पर, मानसरोवर पार्क थर्ड, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, परगना डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित। संपत्ति की सीमायें :– उत्तर– भूखंड सं. 105, दक्षिण– भूखंड सं. 103, पूर्व– अन्य की भूमि, पश्चिम– रास्ता 18 फुट।

बकाया राशि (भविष्य के ब्याज और लागत के साथ मांग सूचना के अनुसार) : रु. 24,99,844/– (रुपये चौबीस लाख निन्यानबे हजार आठ सौ चौवालीस मात्र) तथा **रु. 1,98,489/–** (रुपये एक लाख अट्ठानबे हजार चार सौ नवासी मात्र)।

नीलामी की तिथि	10 मार्च 2026
आरक्षित मूल्य	**रु. 26,19,000/–** (रुपये छब्बीस लाख उन्नीस हजार मात्र)
धरोहर राशि जमा	आरक्षित मूल्य का 10%
अधिग्रहण स्थिति	साँकेतिक अधिग्रहण
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रु. 10,000/–
इच्छुक क्रेताओं के लिये संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	2 मार्च 2026 पूर्वा. 10 से अप. 4 बजे तक
केवाईसी प्रलेखों / ईएमडी प्रमाण इत्यादि के साथ निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	6 मार्च 2026 को अप. 4.00 बजे तक केवाईसी प्रलेखों के साथ
ऑनलाइन प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	10 मार्च 2026 को पूर्वा. 10:00 से अप. 1.00 बजे के मध्य

नोट : इच्छुक बोलीदाता / क्रेता नीलामी प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों के लिये आनंद राठी ग्रुप वेबसाइट www.rathi.com देख सकते हैं।

यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता/ओं / गारंटर के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) एवं 8(5) के अंतर्गत निर्धारित 30 दिवसीय सूचना भी है।

दिनाँक : 03 फरवरी 2026 — आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — *every day* with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा ग्राम पबनावा, तहसील ढांड, जिला कैथल, खतोनी सं. 613, खसरा सं. 747, जिला कैथल, हरियाणा-136027 में स्थित कुल क्षेत्रफल 151.00 वर्ग यार्ड, बिल्ट अप एरिया 2453.50 वर्ग फीट के मकान/प्लॉट के सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा के रूप में अचल सम्पत्ति गिरवी रखे जाने के एवज में श्रीमती रीना देवी एवं श्री सुरेश (अब मृतक) को एक ऋण प्रदान की गई थी, जिसे बाद में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल/मूल ऋणदाता) अधिगृहित कर लिया गया है। चौहद्दी निम्नानुसारः पूर्वः ओम प्रकाश का मकान साइड 35, पश्चिमः सड़क साइड 37-10, उत्तरः सुभाष का मकान साइड 34-7, दक्षिणः इस्मा का मकान साइट 40-6” श्री सुरेश (अब मृतक) द्वारा मालिकाना प्राप्त। तत्पश्चात, मूल ऋणदाता ने समनुदेशन विलेख दिनांकित 27.12.2024 के मार्फत कथित सम्पत्ति के संबंध में अंतर्निहित हित के साथ कथित ऋण खाते को कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड को सौंप दिया है। श्री सुरेश के मृत्यु के उपरांत, कर्जदार श्रीमती रीना देवी पत्नी स्वर्गीय सुरेश के साथ श्री लगन पुत्र स्वर्गीय सुरेश द्वारा ऋण खाते निपटान कर दिया गया है।

ऋण खाते के निपटान के उपरांत कर्जदार श्रीमती रीना देवी पत्नी स्वर्गीय सुरेश के साथ श्री लगन पुत्र स्वर्गीय सुरेश (दोनों सह-कर्जदार श्री सुरेश के वैध उत्तराधिकारी) ने बैंक से ऊपर उल्लेखित गिरवी रखी गई सम्पत्ति के मालिकाना दस्तावेज उनके पक्ष में जारी करने का अनुरोध किया है।

कोई भी व्यक्ति के पास ऊपर उल्लेखित सम्पत्ति के संबंध में अगर कोई दावा अथवा मालिकाना हित है, तो वे इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के भीतर संबंधित साक्ष्य के साथ बैंक के अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह, मोबाइल नं.: +91 9811638929, कोटक महिन्द्रा बैंक लि., प्लॉट सं. 7, सातवीं मंजिल, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201313 से सम्पर्क कर सकते हैं, ऐसा करने में विफल होने पर बैंक द्वारा कर्जदार श्रीमती रीना देवी पत्नी स्वर्गीय सुरेश के साथ श्री लगन पुत्र स्वर्गीय सुरेश (दोनों सह-कर्जदार श्री सुरेश के वैध उत्तराधिकारी) को गिरवी रखी गई सम्पत्ति के मालिकाना दस्तावेज सौंप दिया जाएगा।

स्थानः हरियाणा — **कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**
दिनांकः 05.02.2026 — **अधिकृत प्रतिनिधि**

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पू.), मुंबई– 400 063, भारत
मोबाइल : +91 9813887931, **वेबसाइट :** www.rathi.com

ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न वर्णित उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ओं / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि अन्य बातों के साथ–साथ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड (''एआरजीएफएल'') (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास प्रतिभूत निम्न विवरणित अनुसूचीगत अचल संपत्ति जिसका **ऋण खाता सं. APPL00010306** है, उसका रचनात्मक अधिग्रहण एआरजीएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय निम्न वर्णितानुसार उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता/ओं / गारंटरों की ओर से, अनुसूची में विशिष्ट रूप में अंकित कुल राशि तथा राशि पर संविदागत ब्याज तथा वसूलीकरण की तिथि तक अन्य लागत एवं शुल्कों की वसूली के लिये ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है'' तथा ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर अनुसूची में विशिष्ट रूप में अंकित तिथि पर वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से एक ऑनलाइन ई–नीलामी द्वारा किया जायेगा :

उधारकर्ता का नाम : (1) श्री आशीष कुमार शर्मा (उधारकर्ता), भूखंड सं. 28, सुधा सरोवर कॉलोनी, सी ब्लॉक के पास, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201013

सह–उधारकर्ता / ओं के नाम : (2) श्रीमती कल्पना शर्मा, मकान सं. 28, प्रथम तल, सुधा सरोवर कॉलोनी, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201002, **अन्य पता यहां पर भी :** भूखंड सं. 28, सुधा सरोवर कॉलोनी, सी ब्लॉक के पास, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201013, **(3) मैसर्स ए से जेड किराना स्टोर,** एफ–7/8, रोड – मेन गोविंदपुरम रोड, डीडीपीएस स्कूल के पास, लोकेलिटी– मधुवन बापूधाम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201002, **अन्य पता यहां पर भी :** भूखंड सं. 28, सुधा सरोवर कॉलोनी, सी ब्लॉक के पास, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201013

संपत्ति पता : छताधिकारों के बिना विद्यमान आवासीय प्रथम तल का बंधक, जिसका क्षेत्र मापन 79.15 वर्ग मीटर है, जो भूखंड सं. 28 पर निर्मित, खसरा सं. 1879 में से, सुधा सरोवर (सी–ब्लॉक के पास), ग्राम– सदरपुर, परगना– डासना, तहसील एवं जनपद– गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201001, भारत में स्थित। संपत्ति की सीमायें :– पूर्व– सड़क 24 फुट, पश्चिम– भूखंड सं. 21, उत्तर– भूखंड सं. 29, दक्षिण– भूखंड सं. 27

बकाया राशि (भविष्य के ब्याज और लागत के साथ मांग सूचना के अनुसार)	**रु. 24,99,844/–** (रुपये चौबीस लाख निन्यानबे हजार आठ सौ चौवालीस मात्र)
नीलामी की तिथि	10 मार्च 2026
आरक्षित मूल्य	**रु. 27,25,000/–** (रुपये सत्ताईस लाख पच्चीस हजार मात्र)
धरोहर राशि जमा	आरक्षित मूल्य का 10%
अधिग्रहण स्थिति	साँकेतिक अधिग्रहण
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रु. 10,000/–
इच्छुक क्रेताओं के लिये संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	2 मार्च 2026 पूर्वा. 10 से अप. 4 बजे तक
केवाईसी प्रलेखों / ईएमडी प्रमाण इत्यादि के साथ निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	6 मार्च 2026 को अप. 4.00 बजे तक केवाईसी प्रलेखों के साथ
ऑनलाइन प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	10 मार्च 2026 को पूर्वा. 10:00 से अप. 1.00 बजे के मध्य

नोट : इच्छुक बोलीदाता / क्रेता नीलामी प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों के लिये आनंद राठी ग्रुप वेबसाइट www.rathi.com देख सकते हैं।

यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता/ओं / गारंटर के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) एवं 8(5) के अंतर्गत निर्धारित 30 दिवसीय सूचना भी है।

दिनाँक : 03 फरवरी 2026 — आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

UNITY Small Finance Bank

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत पता : इकाई सं. 1201, 1202 और 1203, 12वां तल, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली– 110001
कॉर्पोरेट पता : सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रुज ई, मुंबई 400 098

सार्वजनिक सूचना

जानबूझकर चूक करने वालों की तस्वीर और विवरण का प्रकाशन

भारतीय रिजर्व बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के उपचार संबंधी मुख्य दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 30 जुलाई, 2024, और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, निम्नलिखित उधारकर्ता एवं जमाकर्ता और मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के बाद, जिसमें कारण बताओ सूचना जारी करना और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना शामील है, और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, **जानबूझकर चूककर्ताओं** के रूप में घोषित किया गया है।

यह सार्वजनिक सूचना आम जनता सो सूचित करने और अन्य वित्तीय संस्थानों को सतर्क करने के लिए जारी की गई है।

उधारकर्ता का नाम : मैसर्स गोयल लाइटिंग्स
पता: प्लॉट सं. सी4, औद्योगिक क्षेत्र, बहादराबाद, हरिद्वार 249402,
इसके अतिरिक्त: ए–77, प्रथम तल, सेक्टर 2, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा– 201301

मालिक और गारंटर का नाम: श्री राकेश कुमार गोयल	मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति का नाम: श्री गौरव गोयल
पता: 173, न्यू राजधानी एन्क्लेव, स्नेह इंटरनैशनल स्कूल, विकास मार्ग, कृष्णा नगर प्रीत विहार, दिल्ली 110092	**पता:** ए–77, दूसरा तल, सेक्टर 2, नोएडा– 201301
तस्वीर:	तस्वीर:

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या	31.01.2026 तक देय राशि और उसपर ब्याज
1.	1839912001	11,69,18,306.83

जानबुझकर डिफॉल्टर्स घोषित किये जाने की दिनांक: 27.01.2026
शाखा / क्षेत्र : मुंबई
यह प्रकाशन भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंटऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एवं लार्ज डिफॉल्टर्स परिपत्र RBI/DoR/2024-25/122(DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2004-25) दिनांक 30 जुलाई, 2024 के अनुपालन में किया गया है।
जारीकर्ता: यूनिटी स्मॉल फाइनेंस लि.
पंजीकृत पता : इकाई सं. 1201, 1202 और 1203, 12वां तल, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली– 110001
कॉर्पोरेट पता : 8वां सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज ई, मुंबई 400 098
(किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस रिकवरी टीम से संपर्क करें)

UNITY Small Finance Bank

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत पता : इकाई सं. 1201, 1202 और 1203, 12वां तल, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली– 110001
कॉर्पोरेट पता : सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रुज ई, मुंबई 400 098

सार्वजनिक सूचना

जानबूझकर चूक करने वालों की तस्वीर और विवरण का प्रकाशन

भारतीय रिजर्व बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के उपचार संबंधी मुख्य दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 30 जुलाई, 2024, और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, निम्नलिखित उधारकर्ता एवं जमाकर्ता और मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के बाद, जिसमें कारण बताओ सूचना जारी करना और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना शामील है, और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, **जानबूझकर चूककर्ताओं** के रूप में घोषित किया गया है।

यह सार्वजनिक सूचना आम जनता सो सूचित करने और अन्य वित्तीय संस्थानों को सतर्क करने के लिए जारी की गई है।

उधारकर्ता का नाम : मैसर्स मेटल केन्स कंपनी
पता: प्याओ मनयारी, सरकारी स्कूल के सामने, नरेला, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा – 131028

मालिक और गारंटर का नाम: श्री रमित गुप्ता	साझेदार और गारंटर का नाम: श्री अजय कुमार गुप्ता
पता: पुत्र अजय कुमार, मकान सं. बी–101, सेक्टर 44, वीटीसी: नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301	**पता:** मारफत रमित गुप्ता, मकान सं. बी–101, सेक्टर 44, वीटीसी: नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301
तस्वीर: 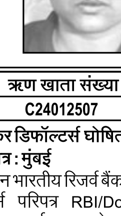	तस्वीर: 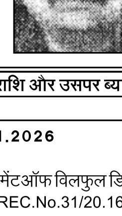

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या	31.01.2026 तक देय राशि और उसपर ब्याज
1.	C24012507	2,62,68,207.40

जानबुझकर डिफॉल्टर्स घोषित किये जाने की दिनांक: 27.01.2026
शाखा / क्षेत्र : मुंबई
यह प्रकाशन भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंटऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एवं लार्ज डिफॉल्टर्स परिपत्र RBI/DoR/2024-25/122(DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2004-25) दिनांक 30 जुलाई, 2024 के अनुपालन में किया गया है।
जारीकर्ता: यूनिटी स्मॉल फाइनेंस लि.
पंजीकृत पता : इकाई सं. 1201, 1202 और 1203, 12वां तल, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली– 110001
कॉर्पोरेट पता : 8वां सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज ई, मुंबई 400098
(किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस रिकवरी टीम से संपर्क करें)

BAJAJ FINANCE

बजाज फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : बजाज फाइनेंस लिमिटेड, द्वारा बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स मुंबई पुणे रोड अकुर्दी पुणे 411035
शाखा कार्यालय : बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, सी/ओ कार केयर सेंटर, जोया रोड, अमरोहा, उत्तर प्रदेश

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा उन ऋणधारक(कों) / सह–ऋणधारक(कों) को निम्नलिखित सूचना प्रेषित करते हैं जो अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल हो चुके हैं अर्थात् बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उन्हें दिये गये संपत्ति अग्रिमों के समक्ष आवास ऋण(णों) /ऋण(णों) हेतु उन पर प्रोद्भूतकृत ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ–साथ मूल धनराशि के प्रतिभुगतान में चूक कर चुके हैं, तथा उसके परिणामस्वरूप ऋण(ऋणानेक) अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियां (एन.पी.ए.) बन चुके हैं। तद्नुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) तथा उसकी नियमावली के अंतर्गत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं निर्गत की गयी थीं, परंतु वह सूचनायें उनको प्राप्त हुये बिना ही वापस लौट आयीं / उन्होंने सूचनायें प्राप्त नहीं कीं, और इसीलिए ऋणधारक(ओं) / सह–ऋणधारक(कों) को एतद्द्वारा इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से सूचित / संसूचित किया जाता है कि वे समय–समय पर अपने द्वारा प्राप्त की गयी ऋण सुविधाओं के अंतर्गत नियत बकाया देयराशियों का भुगतान पूर्ण करें।

ऋण खाता सं. / ऋणधारक(कों) / सह–ऋणधारक(कों) / गारंटर(रों) के नाम एवं पते	प्रतिभूत अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि
लैन : P4H3PBL10930282 **1. आरिफ हुसैन पिता फरीद हुसैन,** निवासी– बतवाल अमरोला उत्तर प्रदेश 244221, संपर्क : 9058647881, ईमेल आईडी : hdgegdhdh328@gmail.com, **अन्य पता यहां पर भी :** निवासी– मकान नं. 572, मोहल्ला तलवार शाह न्यू बस्ती टॉउन अमरोहा, परगना एवं तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 244221 **2. फरीद हुसैन पिता शब्बीर हुसैन,** निवासी– तलवार शाह 281 बतवाल नई बस्ती अमरोहा ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश 244221, संपर्क : 9058647881, ईमेल आईडी : hdgegdhdh328@gmail.com	मकान सं. 572 के समस्त वह भाग तथा अंश जो मोहल्ला तलवार शाह, नई बस्ती टॉउन अमरोहा, परगना एवं तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 244221 में स्थित, सामान्य क्षेत्रों में समानुपातिक अंश के साथ (क्षेत्राधिमापन 764 वर्ग फुट), निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– 12 फुट रोड, पश्चिम– जरीना खातून की अरजी, उत्तर– सद्दकिन खातून का मकान, दक्षिण– सामान्य सड़क।	**12–01–2026** **रु. 20,71,147/–** (रुपये बीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ सैंतालिस मात्र) 12–01–2026 के अनुसार

सूचना आपको प्राप्त हो इस हेतु वैकल्पिक मार्ग देखे और अपनाये जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणधारकों / सह–ऋणधारकों एवं गारंटरों को सलाह है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों की समयावधि के अंदर भावी ब्याज के साथ बकाया धनराशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर (बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकारगत उपचार के पूर्वाग्रह के बिना) प्रतिभूत परिसंपत्तियों / बंधककृत संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिये वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार भावी कार्यवाहियां आरंभ की जायेंगी। उपरोक्त नामित पक्षकारों को यह सलाह भी है कि ऊपर वर्णित उन संपत्तियों में किसी तृतीय पक्ष का स्वत्वांतरण, हित सृजित न करें, जिन पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है।

दिनाँक : 05–02–2026 — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : उत्तर प्रदेश — **बजाज फाइनेंस लिमिटेड**

STATE BANK OF INDIA

अधिकृत अधिकारी का विवरणः
नामः श्री विवेक रैना
मोबाइल नं.: + 91-8197025366
लैंड लाइन नं. (कार्यालय): 080-25943678
ईमेल आईडीः sbi.05173@sbi.co.in

तनावग्रस्त सम्पत्ति वसूली शाखा,
बिल्डिंग नं. 11/90, तीसरी मंजिल, ओल्ड शिवाजी थिएटर के निकट, ट्रस्टवेल अस्पताल के सामने, जे.सी. रोड, बेंगलुरु-560002
सम्पर्कः सीसीओ. श्री दयानंद एम नागशेट्टी, मोबः 9008844891
टेलीः 080-2594-3678/3663. ईमेलः sbi.05173@sbi.co.in

परिशिष्टः IV-ए [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम तौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटरों/गिरवीदाता को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्रभारित नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्तियां, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक, प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे **कर्जदार श्री रवीश रंजन पुत्र श्री अवधेश शर्मा** से भारतीय स्टेट बैंक, प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम दिनांक 03.02.2026 की स्थिति के अनुसार **रु. 1,28,93,786.00 (रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख तिरानवे हजार सात सौ छियासी मात्र) तथा** दिनांक 04.02.2026 से अनुबंधकीय दर पर आगे के ब्याज की रकम के साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्कों की रकम की वसूली के लिए **दिनांक 26.02.2026 को** “जैसे है जहां है”, “जैसे है जो है”, “वहां जो कुछ है” तथा “बिना किसी दायित्व” के आधार पर बिक्री की जाएगी।

आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा, बोली वृद्धि रकम निम्नलिखित होंगीः

सम्पत्ति सं.	आरक्षित मूल्य	ईएमडी - बयाना राशि जमा	बोली वृद्धि रकम	ई-नीलामी की तारीख एवं समय	केवाई दस्तावेज के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
फ्लैट सं. सी-003, 3BHK, SBA 1482 वर्ग फीट “लीनिया सनफ्लॉवर”	Rs. 82,26,000/-	Rs. 8,22,600/-	Rs.50,000/-	10:00 am to 4.00 pm on 26.02.2026	25.02.2026 up to 4.00 PM

प्रत्याभूत हित

सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	आरक्षित मूल्य(रु.)
निविदा सं.: **एसबीआई/एसएआरबी/2025-26/184** सम्पत्ति आईडीः **एसबीआईएन 200050618207** मालिकाना विलेख धारक का नामः **श्री रवीश रंजन पुत्र श्री अवधेश कुमार** **अनुसूची “ए” सम्पत्तिः** केंगेरी ग्राम, केंगेरी होबली, बंगलोर दक्षिण तालुक, वर्तमान में बीबीएमपी की सीमाएं के अंतर्गत, बीबीएमपी खाता सं. 4857/115/4 के मार्फत, वार्ड नं. 198-हेम्मिंगेपुरा में स्थित 1 एकड़ एवं 20 गुंटास परिमाप की रिहायसी रूपांतरित भूमि सं. एसवाई. सं. 115/4 (उपायुक्त बेंगलुरु द्वारा दिनांक 03.03.2005 को जारी रूपांतरण आदेश सं. बीडीआईएसः एएलएन(एस) एसआर(केटी)233/2004-05) के साथ सभी अधिकार, आनुषंगिक वस्तुओं, चाहे सतह के ऊपर अथवा नीचे हो, का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा चौहद्दी निम्नानुसारः **पूर्व में:** येलेम्मा मंदिर एवं विद्यापीठ भूमि, **पश्चिम में:** सड़क एवं मरम्मा मंदिर की भूमि तथा मालिक द्वारा रखी गई भूमि का शेष हिस्सा, **उत्तर में:** बुड्डाना की भूमि, **दक्षिण में:** केआर. तिम्मैयाह की भूमि तथा मालिक द्वारा रखी गई भूमि का शेष हिस्सा। **अनुसूची “बी” सम्पत्तिः “लीनिया सनफ्लॉवर”** नामक अपारर्टमेंट बिल्डिंग के भूतल पर सुपर बिल्ट अप एरिया 1482 वर्ग फीट परिमाप का फ्लैट सं. सी 003 तथा 3 बेडरूम सम्मिलित के साथ फ्लैट के साथ संलग्न 129 वर्ग फीट परिमाप के टेरेस के इस्तेमाल का विशेष अधिकार साथ में अच्छादित कार पार्क सं. सी-003 के प्रयोग का विशेष अधिकार (सुपर बिल्ट अप एरिया के साथ सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् पैसेज, लॉबियों, लिफ्टों, सीढ़ी तथा सार्वजनिक इस्तेमाल के अन्य क्षेत्र में समानुपातिक हिस्सा) **अनुसूची “सी” सम्पत्तिः** “अनुसूची ए की सम्पत्ति” में 729.00 वर्ग फीट परिमाप के अविभाजित हिस्से का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।	82,26,000.00

बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों का विषय-वस्तु होगा।

सम्पत्ति के निरीक्षण के संबंध में आगे के विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त सम्पत्ति वसूली शाखा, बिल्डिंग नं. 11/90, तीसरी मंजिल, ट्रस्टवेल अस्पताल के सामने, ओल्ड शिवाजी थिएटर के निकट, जेसी रोड, बेंगलुरु-560 002, दूरभाषः 080-2594-3678/3663 अथवा बैंक के अनुमोदित समाधान एजेंट, **मैसर्स इनिसियो एडवाइजरी एंड फाइनैंशियल सर्विसेस प्रा. लि., बंगलोर, प्रतिनिधिः श्री विजय दुर्गाई मोबाइल नं. 9663903911** से सम्पर्क कर सकते हैं।

अधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार ऊपर उल्लेखित किसी भी सम्पत्ति पर कोई भी ऋणभार नहीं है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **पीएसबी अलायंस प्रा. लिमिटेड, https://baanknet.com** तथा **www.sbi.co.in** में प्रदत्त लिंक का अवलोकन करें।

टिप्पणीः सम्पत्ति की बिक्री **“जैसे है जहां है”, “जैसे है जो है” एवं “वहां जो कुछ है”** के आधार पर की जाएगी, सम्पत्ति से संबंधित कोई भी बकाया यानी बिजली का बिल, जल का बिल, एसोसिएशन से संबंधित लंबित शुल्क, ई-खाता के हस्तांतरण तथा सम्पत्ति कर इत्यादि का वहन नीलामी क्रेता को करना होगा।

Sd/-
Chief Manager & Authorized Officer
State Bank of India,
Stressed Assets Recovery Branch, Bengaluru

Date: 03.02.2026
Place: Bengaluru